पत्रांकः– 7/विविध (भू-समाधान पोर्टल)-64/2022 984 (7)/रा०

बिहार सरकार
<u>राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग</u>

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह, भा.प्र.से.
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार।
सभी पुलिस महानिरीक्षक, बिहार।
सभी पुलिस उप महानिरीक्षक, बिहार।
सभी समाहर्त्ता, बिहार।
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, बिहार।
सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार।

पटना, दिनांकः– 18/08/25

विषयः– **भूमि विवाद से संबंधित मामलों में नियमित प्रभावशाली अनुश्रवण एवं उनके प्रभावी समाधान के संबंध में।**

प्रसंग :– **इस कार्यालय का ज्ञापांक–915 (7) दिनांक–30.07.2025**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में भूमि विवाद के निष्पादन हेतु शनिवारीय बैठक आयोजित की जाती है। उक्त बैठक को और प्रभावशाली बनाने हेतु एक उच्चस्तरीय बैठक दिनांक–22.07.2025 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित की गयी थी जिसमें मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, पुलिस महानिदेशक, बिहार एवं अधोहस्ताक्षरी उपस्थित थे। उक्त बैठक की कार्यवाही उपरोक्त प्रासंगिक ज्ञापांक के द्वारा आप सभी को प्रेषित की गयी है, जिसकी प्रति पुनः इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में कृपया अपने–अपने जिलें में निम्नांकित कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाय :–

1. यह निर्णय लिया गया है कि बेहतर समन्वय के लिए एवं लगभग प्रत्येक अंचल में एक से ज्यादा थाना होने के कारण शनिवारीय बैठक अब से अंचल स्तर पर होगी जिसमें अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी (यदि पदस्थापित हों) एवं सभी हलका कर्मचारी भाग लेंगे। उक्त बैठक में थाना स्तर से थाना प्रभारी स्वयं उपस्थित रहेंगे, परन्तु किसी कारण से उनके अन्य महत्वपूर्ण व्यस्तता होने पर अतिरिक्त थाना प्रभारी बैठक में उपस्थित रहेंगे ताकि मामले का सम्यक समाधान हो सके।

2. यदि किसी मामले विशेष के निष्पादन के क्रम में स्थल भ्रमण की आवश्यकता महसूस की जाती है तो थाना एवं अंचल कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से स्थल भ्रमण किया जायेगा। स्थल भ्रमण में यथासंभव थाना प्रभारी एवं अंचलाधिकारी स्वयं उपस्थित रहेंगे ताकि उभय पदाधिकारियों को मामले की महत्वपूर्ण जानकारी रहे तथा थाना एवं अंचल स्तर से परस्पर विरोधी आदेश पारित होने अथवा कार्रवाई होने की संभावना न रहे।

3. जिन मामलो में शनिवारीय बैठक में यह आवश्यकता महसूस की जाती है कि शांति भंग होने की संभावना हो तो सम्यक निष्पादन होने तक तत्काल ही अनुमंडल पदाधिकारी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन भेज दिया जाय। इसी प्रकार यदि मामला बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत निर्णय योग्य प्रतीत होता है तो अंचलाधिकारी के स्तर से संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को प्रतिवेदन भेज दिया जाय ताकि उनके स्तर पर वाद प्रारंभ किया जा सके।

4. शीघ्र ही भू–समाधान पोर्टल के प्रभावी उपयोग के लिए पोर्टल में कतिपय सुधार किये जा रहे हैं जिसके संबंध में कार्यवाही में अंकित किया गया है एवं उक्त सुधार होने पर भूमि विवाद संबंधी मामले की जानकारी होने एवं उनके निष्पादन में और ज्यादा सहुलियत होगी।

5. शनिवारीय बैठक में आने वाले मामलों के संबंध में प्रत्येक मामले का ऑफलाईन रिकार्ड संधारित किया जाय जिसमें विवाद से संबंधित कागजातों तथा संयुक्त साप्ताहिक बैठक में लिये गये निर्णय एवं की गयी अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा संधारित हो। मामले के निष्पादन के उपरांत इस रिकार्ड को भी ऑनलाईन पोर्टल पर संधारित कर दिया जायेगा ताकि भविष्य के लिए की गयी कार्रवाई की सूचना तथा संबंधित कागजात पोर्टल पर उपलब्ध रहे।

6. भूमि विवाद के मामलों में Organized Crime के रूप में कतिपय भू–माफिया तत्व भी विभिन्न जिलें में सक्रिय हैं जिनकी जानकारी औपचारिक/अनौपचारिक रूप से जिला एवं पुलिस प्रशासन को प्राप्त होती रहती है। अक्सर यह पाया जाता है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध रूप से भूमि पर कब्जा का प्रयास अथवा कब्जा दबंग तत्वों द्वारा कर लिया जाता है एवं इस मामले में राजस्व पदाधिकारियों

द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सके, इसके लिए सिविल न्यायालय में स्वत्व वाद दायर कर दिया जाता है। इस प्रकार के मामले में यह पाया गया है कि शनिवारीय बैठक में भी स्वत्व वाद दायर होने के कारण कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है। ऐसे मामले में पुलिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिन मामलो में भी दस्तावेजों के फर्जी होने का प्रथम दृष्टया संदेह हो, उनमें गहन जाँच–पड़ताल कर अन्य आपराधिक मामलों की तरह भूमि विवाद से संबंधित मामलों में भी फर्जी दस्तावेजों तथा बलपूर्वक दूसरों का कब्जा हटाकर प्रवेश करने के लिए भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वर्णित प्रवधानों के तहत कार्रवाई आवश्यक है। इससे भू–माफिया तत्वों के प्रयास पर लगाम लगाना संभव हो पायेगा।

बैठक की कार्यवाही संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर सम्यक कार्रवाई सुनिश्चित करवाने की कृपा की जाय एवं शनिवारीय बैठक तत्काल प्रभाव से अंचल स्तर पर प्रारंभ करने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

18/8/2025

(दीपक कुमार सिंह)

ज्ञापांक– 984 दिनांक– 18/08/25

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार को पत्र की प्रति देते हुए अनुरोध है कि गृह विभाग एवं पुलिस मुख्यालय स्तर से भी आवश्यक निदेश निर्गत करने की कृपा की जाय।

18/8/2025

(दीपक कुमार सिंह)

ज्ञापांक– 984 दिनांक– 18/08/25

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

18/8/2025

(दीपक कुमार सिंह)

भूमि विवाद मामलों के नियमित प्रभावशाली अनुश्रवण एवं उनके प्रभावी समाधान के लिए अंचल कार्यालयों एवं थानों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–22.07.2025 को अपराह्न 05:00 बजे आहूत बैठक की कार्यवाहीः–

दिनांक–22.07.2025 (मंगलवार) को अपराह्न 05:00 बजे मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में भूमि विवाद से संबंधित मामलों के नियमित प्रभावशाली अनुश्रवण एवं उनके प्रभावी समाधान के बिन्दु पर गृह विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की बैठक में निम्न पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गयाः–

1. श्री दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
2. श्री अरविन्द कुमार चौधरी , अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग।
3. श्री विनय कुमार, पुलिस महानिदेशक, बिहार।
4. श्री पंकज कुमार दाराद, अपर मुलिस महानिदेशक, लॉ एण्ड ऑर्डर,बिहार।
5. श्रीमती मोना झा, उपनिदेशक, सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, बिहार।

भूमि विवाद के प्रभावी समाधान हेतु वर्तमान में थाना स्तर पर प्रत्येक शनिवार को आयोजित हो रही बैठक एवं भूमि समाधान पोर्टल के संचालन के संबंध में निम्नांकित बिन्दुओं पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया–:

1. राज्य के लगभग सभी अंचलों में एक से ज्यादा थाने हैं तथा थाना स्तर पर बैठक होने पर सभी बैठकों में अंचल अधिकारी भी उपस्थित नहीं हो पाते हैं, साथ ही सभी राजस्व कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने एवं मामले से संबधित अभिलेखों के अवलोकन में भी परेशानी उत्पन्न होती है। इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि शनिवारीय साप्ताहिक बैठक प्रत्येक अंचल स्तर पर आयोजित की जाएगी जिसमें अंचलाधिकारी स्वयं, राजस्व अधिकारी (यदि पदस्थापित हों तो) एवं सभी राजस्व कर्मचारी भी उपस्थित रहेंगे। थाना स्तर से यथासंभव थाना प्रभारी स्वयं उपस्थित रहेंगे। परंतु किसी कारण से उनकी अन्य महत्वपूर्ण व्यस्तता होने पर अतिरिक्त थाना प्रभारी बैठक में उपस्थित रहेंगे ताकि मामले का सम्यक् समाधान हो सके।

2. यदि किसी मामले के निष्पादन के कम में स्थल भ्रमण की आवश्यकता महसूस की जाती है तो थाना एवं अंचल कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से स्थल भ्रमण किया जाएगा। स्थल भ्रमण में यथासंभव थाना प्रभारी एवं एवं अंचलाधिकारी स्वयं उपस्थित रहेंगे ताकि बाद में निर्णय लेते समय उन्हें सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी रहे।

3. जिन मामलों में शनिवारीय बैठक में यह आवश्यकता महसूस की जाती है कि शांति भंग होने की संभावना है तो सम्यक निष्पादन होने तक तत्काल ही अनुमंडल

पदाधिकारी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन भेज दिया जाय। यदि यह प्रतीत होता है कि यह मामला बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत निर्णय योग्य है तो अंचलाधिकारी के स्तर से संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता को प्रतिवेदन भेज दिया जाय।

4. भू–समाधान पोर्टल के प्रभावी उपयोग के लिए निम्नांकित सुझाव दिये गये–:

(क) इस पोर्टल पर आमजनों द्वारा स्वयं आवेदन अपलोड करने तथा अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी दोनों के स्तर से आवेदन अपलोड करने की सुविधा होनी चाहिए।

(ख) इस पोर्टल में वरीय पदाधिकारियों, थाना, अनुमंडल, अंचल एवं राज्य स्तर पर भी कोई आवेदन प्राप्त होने पर एवं इसे शनिवारीय बैठक हेतु पृष्ठांकित करने की आवश्यकता महसूस होने पर इस स्तर से भी भू–समाधान पोर्टल पर अपलोड करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

इस संबंध में गृह विभाग द्वारा बताया गया कि एनआईसी के स्तर से पोर्टल के अपग्रेडेशन के लिए प्रस्ताव बनाया गया है जिस पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सहमति के पश्चात् पोर्टल को अपग्रेड करने की कार्रवाई की जाएगी।

5. यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक मामले का ऑफलाईन रिकॉर्ड संधारित किया जाय जिसमें विवाद से संबंधित कागजातों तथा संयुक्त साप्ताहिक बैठक में लिये गये निर्णय एवं की गई अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा संधारित हो। साथ ही इस रिकॉर्ड को ऑनलाईन पोर्टल पर संधारित करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

6. भूमि विवाद निराकरण अधिनियम में वर्तमान में वाद की सुनवाई भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के स्तर पर प्रारंभ होती है तथा प्रथम अपील आयुक्त के स्तर पर होती है। बैठक में यह सुझाव दिया गया कि इस बिन्दु पर विचार किया जाय कि भूमि विवाद निराकरण अधिनियम की वाद की प्रथम सुनवाई अंचल अधिकारी के स्तर पर हो। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता प्रथम अपीलीय पदाधिकारी हों एवं आयुक्त द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी हों।

7. भूमि विवादों के त्वरित निवारण के लिए ग्राम कचहरियों को भी शक्ति प्रत्यायोजित करने पर विचार करने का सुझाव दिया गया।

8. अंचल कार्यालयों में आमजनों की बढ़ती भीड़ एवं अंचलाधिकारियों के विधि–व्यवस्था संधारण किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक अंचल कार्यालय में एक चार का बल, अंचल गार्ड के रूप में निश्चित रूप से उपलब्ध रहे जिसके प्रभारी नियमित सहायक अवर निरीक्षक या नियमित जिला बल के हवलदार हों। इनके साथ 4 नियमित सिपाही अथवा नियमित बल की कमी

की स्थिति में होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति की जाय। साथ ही जहाँ अंचल में महिला अंचलाधिकारी /प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पदस्थापित हों, वहाँ महिला पुलिस अधिकारी के साथ अंचल गार्ड की तैनाती की जाय।

9. बैठक में भूमि विवाद के मामले में organized crime के रूप में भू–माफिया तत्वों पर चर्चा की गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा यह बताया गया कि कई मामले में यह पाया गया है कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर अवैध रूप से भूमि पर कब्जा का प्रयास अथवा कब्जा दबंग तत्वों द्वारा कर लिया जाता है एवं इस मामले में राजस्व पदाधिकारियों द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सके, इसके लिए सिविल न्यायालय में स्वत्व वाद दायर कर दिया जाता है। अक्सर यह पाया गया है कि इन मामलों में शनिवारीय बैठक में भी स्वत्व वाद को कारण बताकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है। अतः यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के मामलों में भी यह आवश्यक है कि जिन दस्तावेजों के फर्जी होने पर प्रथम दृष्टया संदेह हो, उनकी गहन जॉच–पड़ताल कर लिया जाय एवं दस्तावेज प्रथम दृष्टया फर्जी पाये जाने पर अन्य आपराधिक मामलों की तरह भूमि विवाद से संबंधित मामलों में भी भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वर्णित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाय।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(विनय कुमार)	(अरविन्द कुमार चौधरी) 29/7/2025	(दीपक कुमार सिंह)	(अमृत लाल मीणा) 30.7.2025
पुलिस महानिदेशक, बिहार।	अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग।	अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।	मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना
सं०सं०– 7/ विविध (भू-समाधान पोर्टल)-64/2022

ज्ञापांक–915-(7)/रा0, पटना–15, दिनांक–30/07/25

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–7/विविध (भू-समाधान पोर्टल)-64/2022 915(7)/रा0, पटना–15, दिनांक–30/07/25

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी समाहर्त्ता, बिहार/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, बिहार/सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव